



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



कार्यालय आदेश

राज्य स्वास्थ्य समिति के विज्ञापन संख्या-04/16 (पी०एन०आर० 13914 नि०नि० 15-16) के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP) के तहत Finance-cum-Logistic Assistant के पदों पर चयन/नियोजन हेतु आयोजित Walk-in-Interview के उपरांत सफल घोषित किये गये नवचयनित अभ्यर्थियों को निम्नवत् जिला स्वास्थ्य समिति में पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन नं०	नवचयनित अभ्यर्थी का नाम	कोटि	नवपदस्थापित जिला का नाम
1	136115	Kumar Gaurab	UR	Munger
2	136031	Ritika Kumari	UR	Jehanabad
3	136098	Rajnikant Ray	UR	Buxar
4	136015	Sanjay Kumar	UR	Muzaffarpur
5	136045	Ravi Kant	UR	Vaishali
6	136018	Ajit Kumar	UR	Purnea
7	136026	Shatrunjay Kumar Jha	UR	Saharsa
8	136090	Shruti Shree	UR	Darbhanga
9	136092	Kumari Priyanka	UR	Bhojpur
10	136108	Md. Neshat Haidar	EBC	Arwal
11	136061	Niranjan Kumar	EBC	Supaul
12	136003	Raksha Bharti	EBC	Khagaria
13	136079	Pappu Yadav	BC	Siwan
14	136111	Natho Yadav	BC	Gopalganj
15	136035	Kritika Sinha	BC	Saran
16	136038	Shankar Kumar	SC	Kishanganj
17	136004	Ishika Kumari	SC	Banka
18	136121	Prabhat Ranjan	SC	Araria
19	136051	Anjali Kumari	BC(F)	Samastipur

1. संबंधित नवचयनित अभ्यर्थी को निदेशित किया जाता है कि वे दिनांक **19.08.2016** तक नवपदस्थापन जिला स्वास्थ्य समिति में योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। संबंधित जिला के सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा दिनांक **24.08.2016** तक योगदान की सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को देंगे।
2. योगदान के पश्चात् संबंधित Finance-cum-Logistic Assistant के साथ जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा एकरारनामा किया जाएगा।
3. Finance-cum-Logistic Assistant का मानदेय भुगतान राज्य स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 12500/-रु० प्रतिमाह योगदान की तिथि के प्रभाव से



2



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से किया जाएगा। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा संबंधित कर्मियों को योगदान के तुरंत बाद एकरारनामा कर कार्य आवंटित कर दिया जाय। इसमें विलम्ब अवांछनीय होगा।

4. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर कुल 11 माह या जबतक इस कार्य हेतु राशि उपलब्ध हो, के लिए किया जा रहा है। नवचयनित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य, पदों की आवश्यकता एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर संविदा अवधि का विस्तार जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से किया जा सकेगा।
5. नवचयनित अभ्यर्थियों का संविदागत नियोजन के आधार पर किसी भी तरह का नियमितीकरण अथवा पुर्ननियोजन का दावा मान्य नहीं होगा।
6. सभी नवचयनित अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा करवाया जाना है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा। सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति दो माह के अंदर संबंधित कर्मियों का चरित्र सत्यापन एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की जाँच करवा लेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

ज्ञापांक : CMO/KA/CSH/2014/.....3058 पटना, दिनांक: 01/08/2016

- प्रतिलिपि: सभी संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि: सभी संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि: राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि: सभी नवचयनित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक
-सह-
सचिव, स्वास्थ्य विभाग

